स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 35, दिनांक 22—01—2025

गोवंशीय पशुओं की तस्करी करने वाले गिरोह का सदस्य एवं जनपद प्रतापगढ़ से रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित अभियुक्त मुकीम अहमद गिरफ्तार।

दिनांक 21—01—2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को गोवंशीय पशुओं की तस्करी करने वाले गिरोह का सदस्य एवं थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 04/2025 धारा 325, 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 में वांछित रू0 50,000/—का पुरस्कार घोषित अभियुक्त मुकीम अहमद को मुठभेड़ के दौरान जनपद प्रतापगढ़ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः—</u>

1— मुकीम अहमद पुत्र शमी मोहमद उर्फ़ कल्लू निवासी मदनगढ़ बेल्हा थाना लालगंज प्रतापगढ़।

<u>बरामदगी—</u>

1— 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर।
2— 02 अदद जिन्दा व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर।

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः—</u>

बाबुगंज मार्ग पर पतुलिकी जाने वाले मोड़ के पास, थाना क्षेत्र लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़। दिनांक 21—01—2025 समय 20.50 बजे।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 04/2025 में वांछित रू 50,000/— का पुरस्कार घोषित अभियुक्त मुकीम अहमद उपरोक्त अपने एक साथी के साथ हनुमंत निकेतन मंदिर लीलापुर के पास किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर निरीक्षक राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक अतुल चतुर्वेदी, उ0नि0 प्रदीप सिंह, मु0आ0 नीरज पाण्डेय, मु0आ0 राम निवास शुक्ल, मु0आ0 सुशील सिंह, आ0 बृजेश बहादुर सिंह, आरक्षी अमित त्रिपाठी, आरक्षी अमर श्रीवास्तव, चालक कुमदेश कुमार की टीम द्वारा ज्ञात स्थान पर पहुँचकर वांछित अभियुक्त को मुठभेड़ के उपरान्त गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त मुकीम अहमद ने पूछताछ पर बताया कि उसका एक गिरोह है। जो जनपद प्रतापगढ़ एवं आस—पास के जनपदों में गोवंशीय पशुओं को चोरी करता है। जिन्हे गाड़ियों में लोड कराकर बिहार व बंगाल राज्य में बेचता है। दिनांक 04/05—01—2025 की रात्रि में यह अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर ट्रक में गोवंशीय पशु लोड कराकर बिहार/बंगाल राज्य भेज रहा था। साथ ही पुलिस टीम से बचने के लिए स्विफ्ट कार से उक्त ट्रक के आगे—पीछे रैकी कर रहा था।

लीलापुर, प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान उक्त ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया तो ट्रक चालक पुलिस बैरिकेटिंग तोड़कर भागने लगा एवं स्विफ्ट कार सवार तस्करों द्वारा पुलिस की गाड़ी को पीछा करने से रोकने का प्रयास किया जा रहा था। जिसके सम्बन्ध में थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ में अभियोग पंजीकृत हुआ था।

<u>अभियुक्त मुकीम अहमद</u> <u>का ज्ञात आपराधिक इतिहास निम्नवत है–</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	27/21	323/379 भादवि	महेशगंज	प्रतापगढ़
2	31/21	379 भादवि	महेशगंज	प्रतापगढ़
3	94/24	392/411 भादवि	महेशगंज	प्रतापगढ़
4	299/22	411 भादवि व 3/5/8 गोवध निवारण अधि व 11 पशु क्रूरता अधि0	लालगंज	प्रतापगढ़
5	530/21	3/5/8 गोवध निवारण अधि व 11 पशु क्रूरता अधि०	लालगंज	प्रतापगढ़
6	299/22	411 भादवि व 3/5/8 गोवध निवारण अधि व 11 पशु क्रूरता अधि0	लालगंज	प्रतापगढ़
7	82/22	379/411 भादवि	वाडुज	जनपद सत्तारा महाराष्ट्र।
8	279/24	3/5/8 गोवध निवारण अधि व 11 पशु क्रूरता अधि०	संग्रामगढ़	प्रतापगढ़
9	286/22	3/5ए/8 गोवध निवारण अधि व 323/504/506 भादवि	महेशगंज	प्रतापगढ़
10	04/25	325/319(2)/318 (4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 3/5।/8 गोवध निवारण अधि व 11 पशु क्रूरता अधि०	लीलापुर	प्रतापगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 17/2025 धारा 109(1),352/351(2) बीएनएस व 3/25/5/27 आर्म्स एक्ट में व पूर्व से पंजीकृत मु0अ0सं0 04/2025 धारा 325/319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ में अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।